# जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा), लखनऊ

## शहरी आजीविका केन्द्र(सिटी लिवलीहुड सेन्टर) की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में शर्तें–

1. भाग लेने वाले वाले सेवा प्रदाता एजेन्सी के द्वारा आफर के साथ रू0 1.00 लाख की बैंक गारण्टी अथवा बन्धक एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो कि सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ के नाम बन्धक होगा।
2. आफर के साथ सेवा प्रदाता एजेन्सी के पंजीकरण का विवरण संलग्न करना होगा।
3. एजेन्सी का विगत 3 वर्षों की बैलन्स शीट संलग्न करना होगा।
4. सेवा प्रदाता एजेन्सी के प्रापराइटर को आफर के साथ अपने दो फोटो, आई0डी0 प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ संलग्न करना होगा।

## शहरी आजीविका केन्द्र(सिटी लिवलीहुड सेन्टर) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें।

### 1. शहरी गरीबो को दी जाने वाली सेवाएं:–

#### 1.1 निःशुल्क सेवाएं–

1. शहरी गरीबों को सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
2. बैंक एकाउन्ट खुलवाने हेतु गतिशील कर सहयोग देना।
3. एन0यू0एल0एम0 एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार परक प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर व सम्भावनाओं की जानकारी देते हुए पहुँच सुगमीकृत कराना।
4. आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की जानकारी देते हुए बनवाने में सहयोग करना।
5. विभिन्न जानकारी हेतु टोल फ्री फोन/मोबाईल नम्बर/इन्टर नेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हुए लोगो तक नम्बर पहुँचाना।

#### 1.2. शुल्क आधारित सेवाएं:–

सी0एल0सी0 द्वारा शहरी गरीबों को नीचे लिखी सेवाएं न्यूनतम उचित शुल्क पर केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन एवं आत्मनिर्भरता एवं शहरी गरीबों में केन्द्र के प्रति अपनत्व एवं स्वामित्व की भावना का विकास किये जाने के दृष्टिगत किया जाना हैः–

1. निपुण एवं प्रशिक्षिण कामगारों को सी0एल0सी0 में पंजीकृत करना एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराना।
2. पंजीकृत शहरी गरीबों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
3. बेहतर उत्पादकता हेतु बाजार की मॉग के अनुसार समय–समय पर होने वाले उतार–चढाव की जानकारी पंजीकृत लघु उद्यमियों तक पहुँचाना।
4. लघु उद्यम हेतु पंजीकरण/लाइसेसिंग , परियोजना प्रस्ताव एवं आवश्यकतानुसार बैक ऋण में मदद करना, उद्यम की स्थापना में विभिन्न प्रकियात्मक, व्यवस्थागत, विधिक आवश्यक उपकरण कच्चे माल आदि की व्यवस्था व विपणन में सहयोग करना।
5. विभिन्न ट्रेडर्स शापिंग माल्स से समन्वय कर उनकी मॉग के अनुरूप उत्पादकता हेतु शहरी गरीबों को सहयोग देना।

6. पंजीकृत शहरी गरीबों को आम शहरी की मॉग के अनुरूप विभिन्न दैनिक सेवाओं के गुणवत्तापरक आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में गतिशील करना।
7. निपुण एवं प्रशिक्षित पंजीकृत शहरी गरीबों को उनकी योग्यता एवं कौशल के आधार पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, व्यवसायिक माल्स, नर्सिंग होम/चिकित्सालय, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सेवायोजन में सहयोग प्रदान करना।
8. आम शहरवासियों की मॉग पर दैनिक मूलभूत सेवाओं हेतु पंजीकृत निपुण एवं प्रशिक्षित कामगारों को उचित भुगतान पर सेवा के अवसर उपलब्ध कराना।
9. सी0एल0सी0 की पहचान गुणवत्तापरक सेवाओं एवं विश्वसनीयता हेतु ड्रेस का निर्धारण कर आपसी सहयोग से ड्रेस की उपलब्धता कराना।

**2. <u>शहरी नागरिको को दी जाने वाली सेवाएं:-</u>**

1. सी0एल0सी0 द्वारा निपुण/प्रशिक्षित कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत कर उनके माध्यम से उचित मूल्य आधारित निम्नलिखित दैनिक सेवाएं शहरवासियों हेतु ट्रोल फ्री0 नम्बर, ईमेल, एस0एम0एस0, व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा मॉग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढई, मिस्त्री लोहार, पुताई, पेन्टिंग, फाल्स सीलिंग कारीगर मजदूर एवं माली, कपड़ा धोने वाला, प्रेस करने वाला, मोबाईल, प्रेशर कुकर बनाने वाला कारीगर, कुर्सी बुनने वाला कारीगर, गृह सज्जा, इन्टीरियर डेकोरेटर, ड्राईवर, मोटर मैकेनिक, वायर मैन, कम्प्यूटर/लैपटाप सुधार एवं मेन्टीनेस करने वाला कारीगर/व्यक्ति, कम्प्यूटर आपरेटर, सुरक्षा गार्ड, नर्सिंग सहायक/सहायिका, फिजियोथेरेपी, कुक खानसामा, घरेलू कामकाजी महिला एवं पुरूष, सफाई कर्मी, रेलवे, बस एवं हवाई टिकटों की बुकिंग एवं टिकटो का समय से पहुँचाना, कोरियर सेवा, टी0वी0, फ्रिज कारीगर, टैक्सी सेवा इत्यादि।

**3. <u>सी0एल0सी0 द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं:-</u>**

1. सी0एल0सी0 द्वारा अपने उदेद्श्यों के पूर्ति हेतु आम शहरी नागरिकों को उनकी आवश्यकतानुसार खुदरा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े स्तर की संगठित क्षेत्रों यथा, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, हाउसिंग सोसाइटी/आपार्टमेन्टस, बिजनेस हाउसेस को दैनिक मूलभूत सेवाएं अपनी क्षमतानुसार वार्षिक मेन्टीनेस के आधार पर सीधे कार्यादेश अथवा बिडिंग टेण्डर के द्वारा प्राप्त कर अपनी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।
2. सी0एल0सी0 भवन/परिसर में उपयुक्त स्थान की उपलब्धता होने पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उपयोग किया जाना।
3. कामकाजी महिलाओं के बच्चो के देखभाल हेतु शिशुपालन केन्द्र की सुविधा का आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर प्रदान किया जाना।
4. सी0एल0सी0 द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में शहरवासियों के आधार कार्ड बनवाने आदि कार्यो के लेने की सम्भावनाओं की तलाश कर समन्वय कर कार्यो को लेना तथा पंजीकृत लोगों के माध्यम/सहयोग से कराना।
5. विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों, बैंको, बीमा कम्पनियों आदि की पहुॅच शहरी गरीबों तक सुलभ कराना।

**<u>शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का प्रबन्धन एवं कार्य प्रणाली:-</u>**

1. सी0एल0सी0 का प्रबन्धन आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित है जिसके सी0एल0सी0 के सुचारू रूप से संचालन हेतु व्यवसायिक कार्य योजना तैयार कर बाजार के मांग के अनुरूप दी जाने वाली सेवाओं का सूचीबद्ध करते हुए उचित मूल्यों का निर्धारण कर पारदर्शी तरीके से

प्रबन्धन किया जायेगा। सी0एल0सी0 के दैनिक कार्यो के व्यवस्थित तरीके से संचालन हेतु आवश्यकता के अनुसार कर्मियों को रखा जायेगा।

2. प्रतिदिन के आधार पर सी0एल0सी0 का संचालन एवं देखरेख/व्यवस्था की जायेगी।
3. संविदा/टेन्डरों से सम्बन्धित कार्यो हेतु सी0एल0सी0 बाजार के मानकों एवं प्रचलित दरों के अनुसार व्यक्तियों/सदस्यों की सेवाएं ले सकेगा।
4. योजना के विस्तृत दिशा निर्देश www.hupa.gov.in एवं www.sudaup.org पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत उपलब्ध है।

सिटी प्रोजेक्ट आफिसर
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन,
लखनऊ